अल्पकालीन निविदा सूचना

पेराई सत्र 2015–16 में उत्पादित बैगास की बिक्री हेतु निविदायें दिनांक **20.02.2016** को **अपरान्ह 1.00 बजे** तक आमंत्रित की जाती है जो उसी दिन सायं **3.00 बजे** अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में खोली जायेगी तथा आवश्यकतानुसार समान तिथि में नेगोशियेसन किया जायेगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्न कार्य/सप्लाई हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है जो **दिनांक 26.02.2016** को **प्रातः 11.00 बजे** खोली जायेगी तथा आवश्यकता पड़ने पर समान तिथि में नेगोशियेसन भी किया जा सकता है:– (1) इस चीनी मिल से मलियाना चीनी मिल के गोदामों में पेराई सत्र 2015–16 की उत्पादित चीनी की ढुलाई तथा मलियाना चीनी मिल में उसे उतारना एवं चट्टा लगाना (2) अग्निशमन यंत्र (3) पेडेस्टल बियरिंग व ब्लाक (ज्योति अल्टरनेटर) (4) मिसलेनियस स्टोर मैटीरियल।

इच्छुक क्रेता/आपूर्तिकर्ता नियम व शर्तें इकाई के क्रय विभाग से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त कर सकते हैं।

(एस0आर0 नारायण)
प्रधान प्रबन्धक

नई दिल्ली (एसएनबी)। अच्छी सेहत को बढ़ावा देने और राजधानी की आवोहवा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए अब डाक्टर बिरादरी ने रोकथाम एवं जागरूकता की पहल की है। इस पहल में हजारों स्कूली बच्चे, ऑटो चालक और नागरिक भी शामिल होंगे। इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल्स ने शहर में ' एक्सहेल' नाम से एक पहल लांच की है। इसका मुख्य उद्देश्य दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से लड़ने के लिए शामिल करना है ताकि शहर के लिए सुरक्षित व साफ भविष्य सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाए जा सकें।

अपोलो में चिकित्सा सेवाओं के निदेशक डा. अनुपम सिब्बल ने कहा कि इस पहल के तहत हॉस्पिटल 100 से ज्यादा रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, एक हजार से अधिक स्कूलों तथा आटो रिक्शा चालकों को सहयोगी बना रहा है। इनके साथ मिलकर वायु प्रदूषण से निपटने में विभिन्न गतिविधियों की एक श्रृंखला चलाई जाएगी। हॉस्पिटल योग व प्राणायाम शिविर लगाने की योजना पर काम कर रहा है ताकि नागरिकों के फेफड़ों कां स्वास्थ्य अच्छा रखा जा सके। सरिता विहार आरडब्ल्यूए फेडरेशन के अध्यक्ष प्रवीण श्रीवास्तव ने कहा इस पहल का हम स्वागत करते हैं। वायु प्रदूषण की समस्या पर दिल्ली वासियों पर गंभीर असर कर रही है। हमारा मानना है कि यह कैम्पेन समाज के बड़े तबके के लिए आान है कि वे आगे आएं और अर्थपूर्ण कदम उठाएं। इस अभियान में एक हजार से ज्यादा स्कूलों को भी सहयोगी बनाया है जिनके साथ मिलकर वृक्षारोपण अभियान चलेगा। इसके तहत 25 हजार पौधे रोपे जाएंगे। चालकों की मदद से 10 हजार सेफ्टी मास्क वितरित किए जाएंगे।

ORIENT BELL LIMITED

(CIN: L14101UP1977PLC021546)
Regd. Off. 8, Industrial Area, Sikandrabad – 203205, UP
Corporate off: Iris House, 16 Business Centre, Nangal Raya, New Delhi 110046
Tel.: +91-11-47119100, Fax: +91-11-28521273
Email: customercare@orientbell.com, Website: www.obicorp.com

Extract of Standalone Unaudited Financial Results for the Quarter and Nine months ended December 31, 2015

(In ₹ Lakhs)

Sl. No.	Particulars	Quarter ended 31.12.2015 (Unaudited)	9 Months ended 31.12.2015 (Unaudited)	Quarter ended 31.12.2014 (Unaudited)
1	Total income from operations (net)	17,354	49,316	17,013
2	Net Profit / (Loss) from ordinary activities after tax	164	309	223
3	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Extraordinary items)	164	309	223
4	Paid up Equity Share Capital (Face value of ₹ 10/- each)	1,400	1,400	1,357
5	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	10,554	10,554	10,041
6	Earnings Per Share (before extraordinary items) of ₹ 10/- each			
	Basic (₹):	1.17	2.21	1.64
	Diluted (₹):	1.17	2.21	1.62
7	Earnings Per Share (after extraordinary items) of ₹ 10/- each			
	Basic (₹):	1.17	2.21	1.64
	Diluted (₹):	1.17	2.21	1.62

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly / Nine Months Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly / Nine Months Financial Results are available on the Company's Website at www.obicorp.com and also be accessed on the website of Stock Exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com.

for Orient Bell Limited
Sd/-
Madhur Daga
Joint Managing Director

Place: New Delhi
Date: February 11, 2016

महिला की शादी को माना अवैध

नई दिल्ली (एसएनबी)। एक महिला की घरेलू हिंसा के मामले में उसके दूसरे पति के खिलाफ दायर अर्जी को साकेत अदालत ने खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि पहली शादी के बरकरार रहने के दौरान दूसरे व्यक्ति से शादी अवैध है।मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट शिवानी चौहान ने इस मामले में कहा कि महिला और दूसरे पति के बीच कथित संबंध शादी की तरह का संबंध नहीं है क्योंकि दोनों ने अपने पूर्व के जीवनसाथी से तलाक नहीं लिया। अदालत ने महिला के दूसरे पति के खिलाफ घरेलू हिंसा मामले में दायर अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि दोनों पक्ष सक्षम अदालत से तलाक लिये बिना पति-पत्नी के तौर पर जीवन भर एक दूसरे के साथ वैध शादी में प्रवेश करने के अयोग्य हैं। अदालत ने आगे कहा कि मौजूदा मामले में कथित संबंध शादी की तरह का संबंध नहीं है जिससे कि घरेलू हिंसा कानून से महिलाओं की रक्षा कानून 2005 के तहत उसे फायदा दिया जाए। महिला ने घरेलू हिंसा कानून के तहत व्यक्ति से गुजारा भत्ता और मुआवजा सहित विभिन्न तरह की राहत की मांग की थी। महिला ने अपनी अर्जी में कहा था कि उसने 1994 में अपने पति का घर छोड़ दिया था और दूसरे व्यक्ति के साथ शादी कर ली थी। राहत की मांग करते हुए उसकी तरफ से दलील दी गयी थी कि वह और व्यक्ति एक दूसरे के पति-पत्नी से वाकिफ थे और यह जानने के बाद भी दोनों ने एक दूसरे से शादी की इसलिए दोनों पक्षों की समान गलती है।

- पहली शादी के कायम रहने के दौरान दूसरे व्यक्ति से शादी अवैध : अदालत
- महिला और दूसरे पति के बीच कथित संबंध शादी की तरह का संबंध नहीं